निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 141 / 2021 तारीख दायरा 27.10.2021

उनवान

रामावतार पुत्र श्री मुकुटबिहारी गोदपुत्र श्रीकृष्ण जाति मीणा निवासी ग्राम रकसपुरिया तहसील सांगोद जिला कोटा। –वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लेंड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील सांगोद। – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादी) दिनांक :– 28.10.2021

श्री सरकार पैरोकार

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 422 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नंबर 423 रकबा 1.91 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 2.09 हैक्टर आराजी वाके ग्राम सांगोद तहसील सांगोद एवं खसरा नंबर 532 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 533 रकबा 2.62 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 2.63 हैक्टर आराजी वाके ग्राम लसाडियाखुर्द तहसील सांगोद में स्थित है। वादी का वास्तविक नाम ''रामावतार'' है किन्तु वादी का घरेलू नाम 'रामस्वरूप' भी है व वादी के गोद पिता श्रीकृष्ण जी प्यार से वादी को 'शिवरमणसिंह' के नाम से भी पुकारते थे। वादी के जाईन्दा पिता मुकुटबिहारी है जिन्होने वादी को रजिस्टर्ड गोदनामा कमांक 4 दिनांक 03.05.1982 से केशरबाई बेवा श्रीकृष्ण के गोद रख दिया था जिसमें गोदमाता द्वारा वादी का नाम रामावतार सिंह उर्फ

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

शिवरमणसिंह अंकित करवाया था। उक्त कारणों से ग्राम सांगोद की उपरोक्त आराजी में वादी का नाम 'रामस्वरूप उर्फ रामावतार पुत्र मुकुटबिहारी' अंकित है तथा ग्राम लसाडियाखुर्द की उपरोक्त आराजी में वादी का नाम 'रामावतारसिंह उर्फ शिवरमणसिंह पुत्र श्रीकृष्ण' अंकित है जबकि अन्य राजकीय दस्तावेजों अर्थात् वादी के आधारकार्ड, वोटिंग कार्ड, जन–आधारकार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड में वादी का नाम 'रामावतार पुत्र श्रीकृष्ण' अंकित है। इस प्रकार उक्त राजकीय दस्तावेजों व राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम में एकरूपता नहीं होने के कारण वादी को सरकार से अनुदान, मुआवजा राशि प्राप्त करने व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड रहा है। वादी ने गत सप्ताह पटवारी हलका से उक्त नाम को दुरूस्त करने का निवेदन किया तो उन्होने न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती कार्यवाही करने की राय व्यक्त की। राजस्व रिकार्ड की उक्त त्रुटि को न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यदि राजस्व रिकार्ड में उक्त दुरूस्ती नहीं की गई तो वादी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। वादकारण गत सप्ताह पटवारी हलका द्वारा न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही करने की राय व्यक्त करने पर उत्पन्न हुआ।

अतः वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम "रामावतार पुत्र श्रीकृष्ण" अंकित करने के आदेश प्रसारित किये जावें तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। इसके पश्चात पटवार मण्डल सांगोद/दीगोद की पटवारी रिपोर्ट दिनांक 28.10.2021 पेश हुई। पटवारी द्वारा रिपोर्ट में अंकित किया है कि माल ग्राम कस्बा सांगोद हाल खाता संख्या 685 खसरा नंबर 422, 423 किता 2 की 2.09 हैक्टर आराजी में प्रार्थी का नाम रामस्वरूप उर्फ रामावतार पुत्र मुकुटबिहारी जाति मीणा साकिन रकसपुरिया दर्ज है। माल ग्राम लसाडियाखुर्द की आराजी हाल खाता संख्या 43 खसरा नंबर 532, 533 किता 2 की 2.63 हैक्टर में प्रार्थी का नाम रामावतारसिंह उर्फ शिवरमणसिंह पुत्र श्रीकृष्ण जाति मीना साकिन रकसपुरिया खातेदार रहन एस.बी.बी.जे. सांगोद दर्ज है। रामावतारसिंह, रामस्वरूप व शिवरमणसिंह एक ही व्यक्ति के बोलते नाम हैं। संलग्न रजिस्टर्ड गोदनामा के अनुसार प्रार्थी के जाईन्दा पिता मुकुटबिहारी व गोदपिता श्रीकृष्ण है। गोद नामा पंजीयन बुक नं. 4, जिल्द नं. 4, लेखपत्र संख्या 4, पृश्ठ संख्या 244–46 दिनांक 29.05.82 को पंजीबद्ध किया गया था। चूंकि प्रार्थी के दस्तावेजों आधारकार्ड, वोटिंगकार्ड, जनआधार, राशनकार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक सभी में नाम रामावतार पुत्र श्रीकृष्ण दर्ज है। अतः एकरूपता की दृष्टि से प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में रामावतार दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक एवं जवाब पटवारी हलका सांगोद/दीगोद इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा के खसरा नंबर 422 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नंबर 423 रकबा 1.91 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 2.09 हैक्टर एवं माल ग्राम लसाडियाखुर्द तहसील सांगोद के खसरा नंबर 532 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 533 रकबा 2.62 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 2.63 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम "रामावतार पुत्र श्रीकृष्ण" अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

तारीख दायरा 27.10.2021

प्रकरण संख्या : 141 / 2021

उनवान

रामावतार पुत्र श्री मुकुटबिहारी गोदपुत्र श्रीकृष्ण जाति मीणा निवासी ग्राम रकसपुरिया तहसील सांगोद जिला कोटा। –वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लेंड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील सांगोद। – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

दिनांक :– 28.10.2021

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादी)

श्री सरकार पैरोकार

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री नरेश कुमार गौतम मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पे । होकर आदे । दिया जाता है कि–

माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा के खसरा नंबर 422 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नंबर 423 रकबा 1.91 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 2.09 हैक्टर एवं माल ग्राम लसाडियाखुर्द तहसील सांगोद के खसरा नंबर 532 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 533 रकबा 2.62 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 2.63 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम "रामावतार पुत्र श्रीकृष्ण" अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
सॉंगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
सॉंगोद जिला कोटा